अध्याय - I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से एक कम्पनी[1] दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी (अप्रैल 1995)। वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम[2] बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1 31 मार्च 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[3]	कुल
सरकारी कम्पनियां[4]	19	2	21
सांविधिक निगम	2[5]	-	2
योग	**21**	**2**	**23**

सितम्बर 2017 को क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार ₹ 8,344.31 करोड़ **(परिशिष्ट 1.2)** रही। यह कुल बिक्री 2016-17 के लिए राज्य सकल घरेलु उत्पाद के 6.70 *प्रतिशत* के बराबर थी। सितम्बर 2017 को क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल हानि उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार ₹ 104.42 करोड़ रही **(परिशिष्ट 1.2)**। उनमें मार्च 2017 के अंत तक 36,071 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2017 तक, दो[6] अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जिनमें ₹ 78.79 करोड़ की पूंजी निवेशित है।

उत्तरदायित्व संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी किसी भी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त पूंजीगत भाग का न्यूनतम इक्यावन *प्रतिशत* हिस्सा केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व में है और वो कम्पनी भी इसमें सम्मिलित है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

---

1 हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित।

2 हिमाचल प्रदेश बैवरेजस सीमित।

3 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।

4 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां सम्मिलित हैं।

5 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

6 एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल वर्सटिड मिल्स लिमिटेड।

आगे, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (7) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अन्तर्गत सम्मिलित किसी भी कम्पनी के मामले में, ऐसी कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19क ऐसी लेखापरीक्षा पर लागू होगी। एक कम्पनी की 1 अप्रैल 2014 को अथवा इसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बंधित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित की जायेगी।

1.3 *सांविधिक लेखापरीक्षा*

सरकारी कम्पनियों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) अथवा (7) के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते हैं, द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि जिसमें अन्य बातों सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों, उन पर की गई कार्यवाही तथा उनका लेखों पर प्रभाव सम्मिलित होता है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास जमा करवाएंगे। अधिनियम की धारा 143 (6) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा का विषय होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों[7] में से नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बंध में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

1.4 *सरकार तथा विधानपालिका की भूमिका*

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियन्त्रण रखती है । मुख्य कार्यकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानपालिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखाकरण तथा उपयोक्ता की निगरानी करती है। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में अनुबद्ध है, के अन्तर्गत राज्य सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19क के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.5 राज्य सरकार की इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय हिस्सेदारी है जोकि मुख्यत: तीन प्रकार की है :

- **शेयर पूंजी तथा ऋण**-शेयर पूंजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है।

[7] हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

- **विशेष वित्तीय सहायता**–राज्य सरकार आवश्यकता होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदानों तथा सब्सिडियों के माध्यम से बजटीय सहायता उपलब्ध करवाती है।

- **प्रतिभूतियां**–राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूतियां भी देती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.6 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 12,657.73 करोड़ का निवेश (प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) था जैसाकि नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां				सांविधिक निगम				सकल योग
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,079.32	8,297.15	84.12	11,460.59	770.06	348.29	0	1,118.35	12,578.94
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	18.64	60.15	0	78.79	–	–	--	–	78.79
योग	**3,097.96**	**8,357.30**	**84.12**	**11,539.38**	**770.06**	**348.29**	**--**	**1,118.35**	**12,657.73**

31 मार्च 2017 तक कुल निवेश में से 99.38 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.62 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था । इस कुल निवेश का 30.56 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी, 0.66 *प्रतिशत* फ्री रिजर्वों तथा 68.78 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था । निवेश 2013-14 के ₹ 8,931.48 करोड (प्रदत्त पूंजी: ₹ 2,990.47 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹ 21.64 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 5,919.37 करोड़) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 12,657.73 करोड़ (प्रदत्त पूंजी: ₹ 3,868.02 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹ 84.12 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹ 8,705.59 करोड़) हो गया जैसा कि नीचे **ग्राफ 1.1** में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

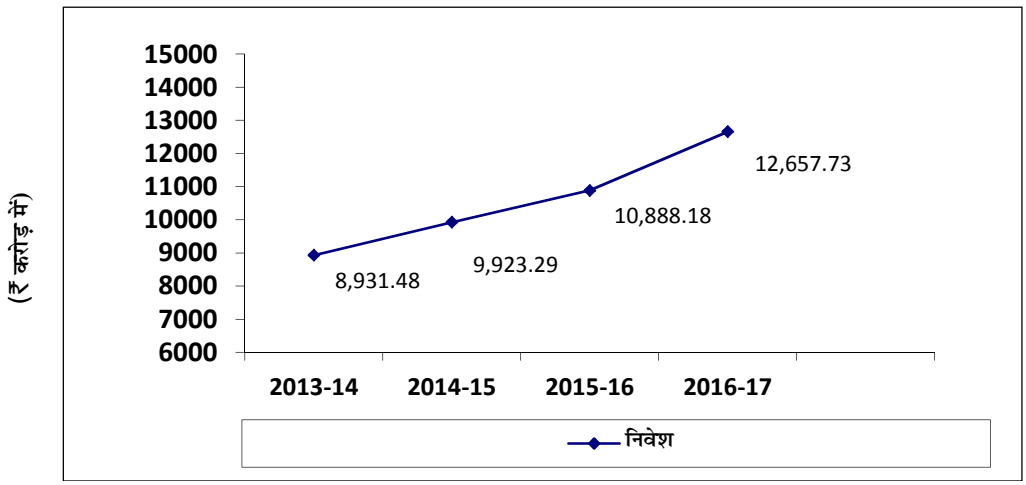

1.7 31 मार्च 2017 के अंत में चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी *प्रतिशतता* नीचे **ग्राफ 1.2** में दर्शाई गई है:

ग्राफ 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

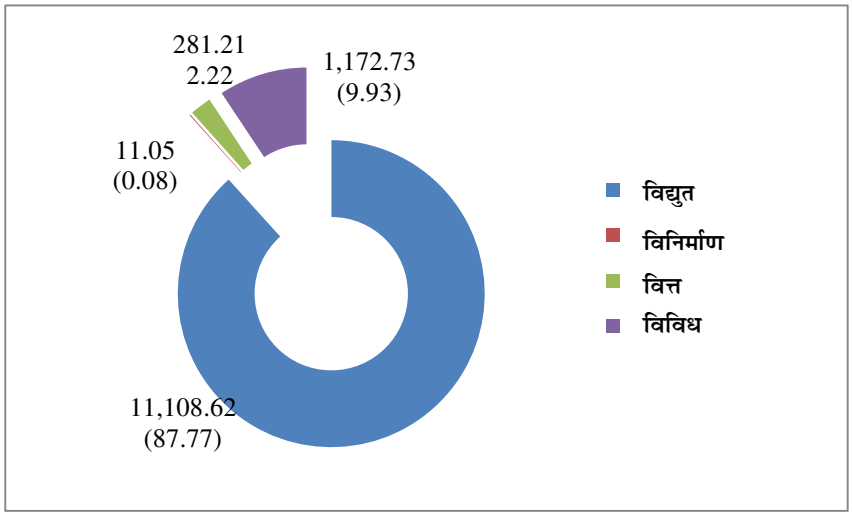

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े निवेश के कुल निवेश के साथ क्षेत्रवार *प्रतिशतता* दर्शाते हैं)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में था। यह 2016-17 में ₹ 12,657.73 करोड़ के कुल निवेश का 87.77 *प्रतिशत* (₹ 11,108.62 करोड़) था।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता तथा प्राप्तियां

1.8 राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में शेयर पूंजी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों एवं माफ किए गए ब्याज के प्रति बजटीय निकास का सार रूप में ब्यौरा नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता से सम्बंधित ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से शेयर पूंजी का निकास	7	283.38	8	308.29	5	116.01
2.	बजट से दिये गए ऋण	2	119.15	2	96.04	2	133.06
3.	बजट से अनुदान/सब्सिडी	7	787.45	9	623.37	5	506.53
4.	**कुल निकास**(1+2+3)		**1,189.98**		**1,027.70**		**755.60**
5.	ऋण/ब्याज को बट्टे खाते में डालना तथा शेयर पूंजी में परिवर्तित ऋण	1	19.11	0	शून्य	0	शून्य
6.	जारी की गई गारंटियां	9	4,919.21	9	2,855.24	6	3,174.85
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	9	2,746.24	8	1,516.87	5	3,991.17
8.	गारंटी फीस	2	0.09	2	0.09	2	0.80

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आंकड़े।

2014-15 से 2016-17 वर्षों के दौरान राज्य सरकार का शेयर पूंजी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों की ओर बजटीय निकास घटती प्रवृत्ति दर्शाता है। बजटीय निकास जो 2014-15 में ₹ 1,189.98 करोड़ था, 2016-17 में ₹ 755.60 करोड़ तक घट गया।

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रतिभूति देती है और शून्य *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* तक प्रतिभूति फीस प्रभारित करती है। 2016-17 के दौरान सरकार ने छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए गए कुल ₹ 3,174.85 करोड़ के ऋणों पर प्रतिभूति दी थी। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता वर्ष 2015-16 के ₹ 1,516.87 करोड़ (आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 3,991.17 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) हो गई। 2016-17 के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[8] ने ₹ 0.80 करोड़ की प्रतिभूति फीस का भुगतान किया था।

वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार शेयर पूंजी तथा बकाया ऋणों से सम्बंधित आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए आंकड़ों के अनुसार होने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2017 की स्थिति निम्न **तालिका 1.4** में दर्शायी गई है।

तालिका-1.4: वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार शेयर पूंजी तथा बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	से सम्बंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
1.	**शेयर पूंजी[9]**	882.17	976.62	94.45
2.	**ऋण[10]**	3,354.99	5,824.74	2,469.75

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध करवाए गए और वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों में अन्तर था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अन्तर के कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभागों से अन्तर का मिलान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2017)।

8 हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित।

9 इक्विटी के सन्दर्भ में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित।

10 ऋण के सन्दर्भ में 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम सीमित एवं हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों द्वारा वित्तीय विवरणियों को सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छ: महीनों के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने पर अधिनियम की धारा 99 के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान लगाए जा सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में उनसे सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितम्बर 2017 तक 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बंधित स्थिति

क्रमांक	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य कम्पनियों की संख्या	19	19	19	20	21
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	15	16	16	19	21
3.	बकाया लेखों की संख्या	20	23	26	27	27
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखों में बकाया है	12	15	18	18	17
5.	बकाया की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 4 वर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखों के बकाया हैं, को बैकलॉग के शीघ्र निपटान और लेखों के अद्यतन करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखों के बकाया है, को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष में निम्नतम दो वर्षों के लेखा को अंतिम रूप दिया गया है ताकि बकायों का परिसमापन किया जाये।

प्रशासकीय विभागों पर इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिये जाने तथा अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया की प्रास्थिति पर नियमित रूप से सूचित किया गया था, तथापि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखों के बकाया का मामला, लेखों के बकाया की परिसमाप्ति हेतु मुख्य सचिव/निदेशक, संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम के संज्ञान में लाया गया था (जुलाई 2017)। तथापि कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, में ₹ 3,462.41 करोड़ का निवेश किया था जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में ब्यौरा दिया गया है। लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने एवं उनकी लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निवेश तथा किये गये व्यय का लेखांकन उचित ढंग से किया गया है और जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। अत: ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधानमंडल की संवीक्षा से बाहर रहा।

1.12 दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, हिमाचल प्रदेश वर्सटेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में था और उस अवधि तक इसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। एग्रो इंड्स्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के लेखे वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए बकाया थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.13 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा हिमाचल सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2016-17 के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त निगम हेतु वर्ष 2015-16 तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने का प्रभाव

1.14 लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब से सम्बंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जन-धन की धोखाधड़ी तथा रिसाव भी हो सकता है। लेखों के बकाया के मद्देनजर, वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

1.15 क्रियाशील सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलाप परिणामों का ब्यौरा ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कुल बिक्री का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के लिए क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.6**, में दिया गया है।

तालिका 1.6: राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल बिक्री[11]	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74	8,344.31
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	76,259	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570
राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की *प्रतिशतता*	6.48	6.93	6.84	6.85	6.70

विगत पांच वर्षों के दौरान क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 2012-13 में ₹ 4,945.29 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 8,344.31 करोड़ हो गई। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की प्रतिशतता 2012-13 में 6.48 से बढ़कर 2016-17 में 6.70 हो गई।

[11] 30 सितम्बर तक नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार कुल बिक्री।

1.16 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अर्जित लाभ/ हुई हानि नीचे **ग्राफ 1.3** में दिया गया है ।

ग्राफ 1.3: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ/हानि

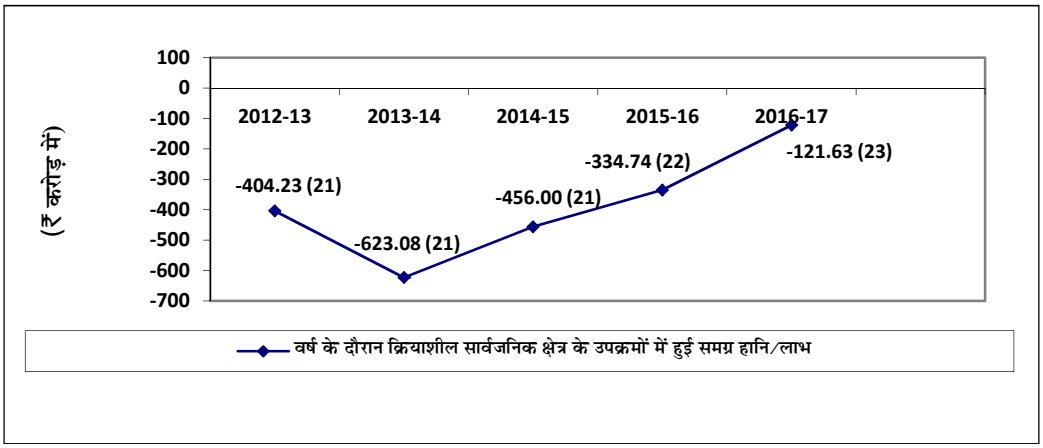

(समग्र लाभ/हानि वर्ष के दौरान जिसके लिए लेखें को अंतिम रूप दिया गया था, लाभ/हानि का निवल परिणाम है और कोष्ठक में दिये गये आंकडे सम्बन्धित वर्षों में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाते है)

- यह पाया गया कि क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2012-13 में ₹ 404.23 करोड़ की सीमा तक की गई समग्र हानियां 2016-17 में घटकर ₹ 104.42 करोड़ हो गई हैं।

- हानि में कमी का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर पूंजी, ऋणों तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय पैकेज देना था और उदय स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान था।

नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट 1.2*** में दिए गए है। 01 अक्तूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान 18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में 21 लेखे प्राप्त हुए थे। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ एवं हानि लेखे तैयार नहीं किए है जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय की तुलना में व्यय आधिक्य राज्य

सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है। 2016-17 में निर्मित हिमाचल प्रदेश बैवरेज सीमित ने अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए हैं।

तालिका 1.7 (क) लाभ अर्जित करने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	सकल लाभ
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2015-16	2017-18	1.21
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2013-14	2016-17	0.20
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम सीमित	2013-14	2017-18	0.30
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम सीमित	2015-16	2016-17	8.25
हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम सीमित	2015-16	2016-17	5.47
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2015-16	2017-18	2.11
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2015-16	2017-18	2.12
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	-
	2016-17	2017-18	1.38
हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2015-16	2016-17	0.69
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	1.40
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2015-16	2016-17	1.40
हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	2015-16	2016-17	1.73

तालिका 1.7 (ख) हानि अर्जित करने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जब लेखों को अंतिम रूप दिया गया	सकल लाभ
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2014-15	2017-18	0.86
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2015-16	2016-17	3.14
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	2017-18	4.09
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2015-16	2017-18	17.92
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2014-15	2016-17	113.51
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2016-17	2017-18	6.40

- लाभ में प्रमुख हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम सीमित (₹ 8.25 करोड़) और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (₹ 5.47 करोड़) की थी।

- भारी हानियां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 113.51 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (₹ 17.92 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹ 6.40 करोड़) में हुई थी।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अन्य प्रमुख मानदंड नीचे **तालिका 1.8** में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख मानदंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इक्विटी	उपलब्ध नहीं	672.91	-18.2	-62.72	336.05
निवेश	उपलब्ध नहीं	6756.74	8294.58	8729.93	9919.50
ब्याज, कर एवं लाभांश से पूर्व लाभ	उपलब्ध नहीं	-620.83	4.93	248.74	-104.42
कर एवं प्राथमिक लाभांश के बाद सकल लाभ	उपलब्ध नहीं	-625.18	-455.70	-332.54	-119.12
इक्विटी पर प्रतिफल[12] $ (*प्रतिशत*)	उपलब्ध नहीं	-92.91	*	*	-35.45
निवेश पूंजी पर प्रतिफल[13] (*प्रतिशत*)	उपलब्ध नहीं	-9.18	0.06	2.85	-0.01
ऋण	3,932.91	5,919.37	6,568.11	5,384.53	6,225.04
कुल बिक्री[$]	4,945.29	5,952.79	6,536.34	7,565.74	8,344.31
ऋण/कुल बिक्री अनुपात	0.80:1	0.99:1	1:1	0.71:1	0.75:1
ब्याज अदायगियां	163.24	280.37	473.82	613.73	571.52
संचित हानि	1,875.73	2,492.97	2,951.26	3,291.92	3,242.88

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना

$ - आंकड़ें 30 सितम्बर 2017 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 30 सितम्बर 2017 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार

* इन वर्षों में इक्विटी नकारात्मक रूप में थी इसलिए मापने योग्य नहीं है

ऋण-कुल बिक्री अनुपात 2012-13 में 0.80:1 से घटकर 2016-17 में 0.75:1 रह गया। संचित हानियां जो 2012-13 में ₹ 1,875.73 करोड़ थीं, 2016-17 में ₹ 3,242.88 करोड़ तक बढ़ गईं।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अप्रैल 2011) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जित करने वाले समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उन्हें छोड़कर जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं) से राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त पूंजी पर पांच *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल भुगतान अपेक्षित है जो कर के उपरान्त लाभ के 50 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा तक हो सकता है। अपने नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखों के अनुसार, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 24.29 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र दो[14] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2015-16 के दौरान ₹ 1.89 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राज्य सरकार को कोई लाभांश भुगतान नहीं किया था।

अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.19 31 मार्च 2017 तक एग्रो इंडस्ट्रिज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड दो अक्रियाशील कम्पनियां थी। हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड ने अपनी परिसमापन प्रक्रिया

12 इक्विटी पर प्रतिफल = कर एवं प्राथमिक लाभांश के बाद सकल लाभ/हिस्सेदारी निधि जहां हिस्सेदारी निधि (इक्विटी) = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व एवं आधिक्य - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

13 निवेश पर प्रतिफल = ब्याज/निवेश, कर एवं लाभांश से पूर्व कुल लाभ जहां निवेश = प्रदत्त पूंजी + फ्री रिजर्व + दीर्घ कालीन ऋण।

14 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।

2000-01 से आरम्भ कर दी थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रिज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया अभी आरंभ की जानी थी। अक्रियाशील कम्पनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रही थी तथा न ही अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति कर रही थी और सरकार इन कम्पनियों को शीघ्रतापूर्वक बंद करने पर विचार कर सकती है।

लेखा टिप्पणियां

1.20 18 क्रियाशील कम्पनियों ने अक्तूबर 2016 से सितम्बर 2017 तक प्रधान महालेखाकार को अपने 21 लेखापरीक्षा किए गए लेखे अग्रेषित किए थे जिनका अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका-1.9: क्रियाशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	21.87	6	4.99	8	7.49
2	हानि में वृद्धि	5	2,105.11	2	6.34	3	21.22
3.	हानि में कमी	2	2.22	2	1.29	3	1.17
4	लाभ में वृद्धि	-	-	2	0.66	1	0.09
5	सामग्री तथ्यों का गैर-उद्घाटन	2	19.64	2	3.93	-	-
6	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	4.47	2	0.34	-	-

लेखा टिप्पणियों के परिणास्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के पन्द्रह उपक्रमों की हानि में ₹ 27.45 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र[15] तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के एक लेखे के लिए अस्वीकरण[16] दिया था। शेष 14 लेखों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योग्य प्रतिवेदन जारी किये थे। नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 17 लेखों के लिए टिप्पणी युक्त योग्य प्रतिवेदन दिये थे और तीन कम्पनियों के चार लेखों के लिए शून्य टिप्पणियां जारी की गई थी। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब रही क्योंकि वर्ष के दौरान छः लेखों में गैर-अनुपालना के 24 उदाहरण थे।

1.21 इसी प्रकार, दो क्रियाशील सांविधिक निगमों ने अक्तूबर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखे अग्रेषित किए थे । इनमें से, हिमाचल पथ परिवहन निगम का एक लेखा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बंधित था जो कि पूर्ण हो गई थी। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के शेष दो लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए थे और लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गई थी।

15 प्रतिकूल प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि लेखे सत्य एवं सही स्थिति को प्रकट नहीं करते।

16 अस्वीकृति से तात्पर्य है कि लेखापरीक्षक लेखाओं पर अपना मत देने में असमर्थ हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का ब्यौरा नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	हानि में वृद्धि	2	41.60	1	49.19	1	2.50*
2	हानि में कमी	-	-	1	0.04	2	0.47
3	सामग्री तथ्यों का गैर-उद्घाटन	1	5.27	1	0.57	-	-

* हानि में ₹ 2.50 करोड़ की वृद्धि हिमाचल पथ परिवहन निगम के मामले में हुई थी।

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेद

1.22 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन के लिए सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 13 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद छः हफ्तों के भीतर उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे । तथापि राज्य सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आठ अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

बकाया उत्तर

1.23 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सांविधिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे (फरवरी 1994)।

व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति नीचे **तालिका 1.11** में दी गई है।

तालिका 1.11: 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं /परिच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2012-13	फरवरी 2014	2	12	0	0
2013-14	अप्रैल 2015	1	10	0	1
2014-15	अप्रैल 2016	2	12	2	9
2015-16	मार्च 2017	1	11	1	11
योग		**6**	**45**	**3**	**21**

51 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से छः विभागों के सम्बंध में 24 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (47 *प्रतिशत*) की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2017)।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.24 30 सितम्बर 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की प्रास्थिति नीचे **तालिका 1.12** में दी गई है।

तालिका 1.12: 30 सितम्बर 2017 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं और जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2010-11	1	15	0	15
2011-12	1	13	1	9
2012-13	2	12	0	9
2013-14	1	10	0	2
2014-15	2	12	0	1
2015-16	1	11	0	0
योग	**8**	**73**	**1**	**36**

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

1.25 दिसम्बर 2013 से मार्च 2017 के मध्य राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के 27 प्रतिवेदनों से सम्बंधित 42 परिच्छेदों के प्रति एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए थे

(नवम्बर 2017) जैसा कि नीचे **तालिका 1.13** में इंगित किया गया है।

तालिका 1.13: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2013-14	2	2	8	8
2014-15	10	16	65	65
2015-16	8	18	27	16
2016-17	7	6	58	58
योग	**27**	**42**	**158**	**147**

लोक उपक्रम समिति के इन प्रतिवेदनों में पांच[17] विभागों से सम्बंधित परिच्छेदों जो वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लिए नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल थे, के सम्बंध में सिफारिशें सम्मिलित थीं।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार (क) लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्रारूप परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा एक्शन टेकन नोट्स के प्रति उत्तर भेजना तथा (ख) समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया की प्रणाली को ठीक करना।

लेखापरीक्षा के उद्धरणों पर की गई वसूलियां

1.26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी जांच के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को ₹ 51.69 करोड़ की वसूलियां सूचित की गई थी जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इस राशि के प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 40.53 करोड़ राशि की वसूली की गई थी जिसमें से ₹ 40.44 करोड़ की वसूली मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बंधित थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

1.27 वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित सरकारी इक्विटी के विनिवेश हेतु कोई नीति तैयार नहीं की है।

इस प्रतिवेदन की व्याप्ति

1.28 इस प्रतिवेदन में ₹ 846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक विषयगत परिच्छेद सहित 13 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

[17] विद्युत, वित्त, सेवा अवसंरचना तथा कृषि एवं समवर्गी।